भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1470**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

सेवा क्षेत्र क्रियाकलाप

1470. श्री रवनीत सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल के महीनों में सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विनिर्माण क्रियाकलाप में भी कमी आई है और फर्म नियमित रूप से कर्मचारियों की संख्या घटा रही है तथा जून, 2021 में सबसे तीव्र गिरावट दर दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए देश में व्यावसायिक क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) ने वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। सेवा क्षेत्र में संकुचन मुख्यत: कोविड-19 महामारी कारण हुआ।

(ग) : मई, 2021 माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के उपलब्ध नवीनतम त्वरित अनुमानों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूचकांक 113.5 था। विनिर्माण क्षेत्र ने मई 2020 की तुलना में मई, 2021 में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

(घ) और (ड.) : सरकार देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :-

- स्टार्ट-अप इंडिया, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति और क्षेत्रीय स्कीमों/कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रगतिशील उदारीकरण करना।
- देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार करना। इससे विश्व बैंक की ईओडीबी रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में 2014 में 142 से सुधार होकर वर्ष 2020 में रैंकिंग 63 हो गई।
- 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन के एक भाग के रूप में और विनिर्माण क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी पहल (पीएलआई) स्कीमों के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है।
- दिनांक 16.09.2020 को सार्वजनिक अधिप्रापण में मेड-इन-इंडिया के अधिकतम उपयोग और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक अधिप्रापण (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश को संशोधित किया गया है।
- विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं और भावी औद्योगिक शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम (एनआईसीपी) का आरंभ किया गया है।
- दिनांक 01.01.2021 से विनिर्माण की प्रक्रिया में और निर्यातित उत्पादों के वितरण में वर्तमान में वापस नहीं किए गए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए आरओडी टीईपी (निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट) नामक एक नई स्कीम लागू की गई है।
- सेवा क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियों में सुधार करने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों जिसमें स्वास्थ्य एवं पर्यटन शामिल हैं, के लिए ऋण गारंटी स्कीम, एक बार वीजा जारी करना आरंभ होने के बाद 5 लाख पर्यटकों को एक-माह के लिए पर्यटक वीज़ा, टूरिस्ट गाइड और अन्य हितधारकों को वित्तीय सहायता जैसे उपाय किए गए हैं।
- संरचनात्मक सुधार जैसे रक्षा और अंतरिक्ष सेक्टर में उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी सेवाओं के लिए निजी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, दूर-संचार के तहत अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) दिशानिर्देश का सरलीकरण किया गया है।
- इन क्षेत्रों के लिए अभिज्ञात नोडल मंत्रालयों/विभागों की क्षेत्रीय पहलों को सहायता देने के लिए अभिज्ञात चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवाओं में 'चैंपियन क्षेत्रों की कार्ययोजना' तैयार करना।

****